

मूल वाद में डिब्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.ए.  
राजस्व वाद संख्या :-211/2024

1. जसविन्दसिंह पुत्र जलौरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र जलौरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
3. जगसीरसिंह पुत्र कौरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
4. जगवीरसिंह पुत्र कौरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
5. मांगासिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

---वादीगण

बनाम्

1. गुरदेवसिंह पुत्र सन्धुरासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
2. जलौर सिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
3. कौरसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
4. बख्तावरसिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
5. बलजीत कौर पुत्री गुरदेवसिंह पत्नी जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
6. सुखपाल कौर पुत्री गुरदेवसिंह पत्नी नायबसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी बोदी वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
7. जसविन्द्र कौर पुत्री गुरदेवसिंह पत्नी आत्मासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
8. सुखमन कौर पुत्री कौर सिंह पत्नी सुखपालसिंह जाति जटसिख निवासी 2 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
9. रजनदीप कौर पुत्री बख्तावरसिंह पत्नी गगनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 2 केएसपी खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।



दावा अन्तर्गत धारा :-88 आर.टी.ए.घोषणा

डिक्री


दिनांक :-23/12/24

वादीगण की ओर से श्री संजय शर्मा अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री जयनारायण शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23/12/24 को सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि चक नम्बर 1 जीजीआर जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 33/27 में दर्ज 9.1080 हैक्टेयर में गुरदेवसिंह के 2/9 हिस्सा व चक 1 जीजीआर खाता संख्या 32/28 में दर्ज 1.6050 हैक्टेयर में गुरदेवसिंह के 1/4 हिस्सा की आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को बहिरसा

बराबर 1/3 हिस्सा, वादीगण संख्या 3 व 4 को बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 5 को 1/3 हिस्सा की आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 1 जीजीआर के कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न होने के स्थिति में आदेश की पालना किया जाना सुनिश्चित करे।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 25/12/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

  
 (सत्यनारायण शर्मा ए एस)  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सदस्य कलक्टर  
 टिब्बी

### वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---